

फर्द अहकाम



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

बद्रीनारायण वगै०

बनाम

सियाराम वगै०

दमा नं० :- 73/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 ता 6 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24.10.2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	
24.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 349 रकबा 0.6400 है०, खसरा नम्बर 350 रकबा 3.0000 है०, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 427/354 रकबा 0.2400 है० वाके ग्राम पातलवास, पटवार हल्का सानकोटडा, तहसील आंधी की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम पातलवास, पटवार हल्का सानकोटडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 349 रकबा 0.6400 है०, खसरा नम्बर 350 रकबा 3.0000 है०, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 427/354 रकबा 0.2400 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी (ललित मीना) जमवारामगढ़ उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	